



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ट

भाग-४, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, १६ जून, २०२३ ई०

ज्येष्ठ २६, १९४५ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-१

संख्या ९७७/VII-A-१/२०२३-२४ ख/२००७

देहरादून, १६ जून, २०२३

अधिसूचना

सार्वप्रयोगी-१६

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (केन्द्रीय अधिनियम संख्या ६७, वर्ष १९५७) की धारा १५ द्वारा प्रदत्त शरितयों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिषेष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिवार नियमावली, २००१ तथा इस विषय पर विद्यमान समर्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिवार) नियमावली-२०२३ को निम्नवत प्रस्तुति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिवार) नियमावली-२०२३

अध्याय-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त, शीर्षकम्, प्रसार, प्रारम्भ और प्रबुद्धिः-

- (१) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिवार) नियमावली, २०२३ (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023) कालायेगी।
- (२) इनका प्रसार समर्त उत्तराखण्ड में होगा।
- (३) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रबलित होगी।

- (4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।
 (5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

2. परिभाषाये :-जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेग्लेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) समय-समय पर यथा संशोधित से है।
 (क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जनपद के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के विनीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।
 (ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, सम्बागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।
 (ग) "महानिदेशक" का तात्पर्य गहानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।
 (घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।
- (2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित है।
 (क) "जिला खान अधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।
- (3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।
 (क) "स्वरस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निषेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपर्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विश्वापित न हुआ हो।
- (4) "खनन और रखानी" के यही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं 35, 1952) में दिये गये हैं।
 (5) "खनन सक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (operation) से है।
- (6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक नियत अवधि हेतु उप-खनिजों के विदोहन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।
- (7) "खनन अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियत अवधि के भीतर उप-खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।
- (8) "उप-खनिज" का तात्पर्य इनारती पत्थर (Building stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बौल्डर (Boulder), आर०थी०एम० (बालू, बजरी, बौल्डर निश्चित अवस्था में), मामूली गृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से मिल मामूली बालू, खनिज सोपर्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या जिसके उप-खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्लेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा-३ के खण्ड (ङ) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञापि द्वारा घोषित करे।
 (क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय-मूल्य से है।

- (9) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये इण्डियन रेलवे एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।
- (10) "River Bed Material (आर०बी०एम०)" नदी/नाला/गधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेता, बजरी, बोल्डर, मिश्रित अवस्था में या पृथक—पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।
- (11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य यांकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।
- (12) "स्थस्थानें (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से भिन्न उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।
- (13) पर्वतीय क्षेत्र— पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित हैं।
- (14) मैदानी क्षेत्र— मैदानी क्षेत्र ले अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मिलित हैं।
- (15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निकेपित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्डर का मानव शक्ति से निकासी से है।
- (16) "अनुसूधी" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूधी से है।
- (17) "राज्य और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।
- (18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, आविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।
- (19) "शब्द" और "पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा—पत्र के अधीन होंगी—

- (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोग्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।
- प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में ग्राह्य होने से पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा—पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन संक्रियायें पर न पड़ेगा।
- (2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा—पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय-2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः-

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोगन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा:-

- (I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकारी निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूजी को कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियाँ) हों।
- (II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।
- (III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individuals) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और
- (IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः-

- (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम०-१ में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम०एम०-१ (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी ग्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ घेषित की जायेगी।
- (3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सकाम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उपर्याक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने वाले नोटराईज्ड अनुरोध शायद पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र त्वरतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।
- (4) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम०-२ में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6- खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा अमिलेखः-

- (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगा:-
- (क) नदी तल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क ₹० 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न निजी नाम भूमि के स्वरक्षणे प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क ₹० 05 है० क्षेत्रफल तक हेतु ₹० 2.00 लाख तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु ₹० 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ख) खरपथाने (In-situ) घटान किसम के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 हेक्टर नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा।

परन्तु स्थस्थाने (In-situ) घटान किसम के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा रसेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।

- (ग) राजस्व खसरा मानवित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गूगल मानवित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।
- (2) खसरा खत्तीनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।
 - (3) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।
 - (4) आयकर दकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।
 - (5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (7) जीएसटी० की प्रति।
 - (8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटराईज्ड अनापत्ति।
 - (9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बचक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (10) स्थस्थाने (In-situ) घटान किसम के खनिज निषेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, रसेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का ८० प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटराईज्ड सहमति।
 - (11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उपनियम (1) में चलिखित शुल्क जगा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जगा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।
 - (12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विलम्ब खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्थीकार कर दिया जावेगा।

६—खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि:-

- (क) खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिये—प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छ: माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानवित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट लूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छ: प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम ६ के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब की क्षमा कर सकेगी।

7- जांच और प्रतिवेदन—

- (1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निमानुसार समिति का गठन किया जायेगा—

1. उप जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष।
2. सहायक अमियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु)	—	सदस्य।
3. प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	—	सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	—	सदस्य सचिव।

परन्तु उवतानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम-६६ के अन्वर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

- (2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर ०१ माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8- खनन पट्टे की स्वीकृति—

- (क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर०बी०एम०) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, वैराईट, डोलोमाईट, रैलेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिल्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर०बी०एम०) के खनन पट्टे की दशा में ०६ माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, वैराईट, डोलोमाईट, रैलेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिल्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में ०१ वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।
- (ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9- कठिपथ्य व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार—

1. जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहाँ उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, उपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहाँ राज्य सरकार उपनियम-(2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अधिदिष्ट बातेः-

- (क) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।
 - (ख) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदन हेतु यित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्भारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।
 - (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (रटाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।
 - (घ) किसी पूर्ण पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और
 - (ङ) खनिज आवारित उद्योग स्टोन क्रेशर/रुलीनिंग प्लान्ट रखायियों को खनन पट्टा स्थीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और
 - (घ) नियमावली के नियम-०३ के अन्तर्गत चयनित टेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-२ के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
 - (छ) ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।
3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्हीं पिशेव कारणों से जो अगिलिसित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10— खनन पट्टे की अवधि :-

- (१) नदी तल अवरिथत राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में ०५ है० क्षेत्रफल तक ०५ वर्ष की अवधि हेतु, ०५ है० से अधिक क्षेत्रफल में १० वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्थीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) समिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- (२) स्वरक्षानें (In-situ) चट्टान किसम के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराइट, डोलोमाईट, जिष्याम आदि के खनन पट्टे अधिकतम २५ वर्ष की अवधि के लिए स्थीकृत किये जायेंगे।
- (३) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किसम के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाइट, पत्थर के ५.०० है० क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम १० वर्ष तक तथा ५.०० है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम १५ वर्ष तक की अवधि के लिए स्थीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

वह ऐसे स्वस्थानों (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (वीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हो, की अवधि हेतु खनन पट्टा रथिकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11- पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :-

- (1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा:-
राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में—
 - (1) 05 है० क्षेत्र तक के लिये रु० 5000.00
 - (2) 05 है० क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है० तक रु० 1000.00 की दर से अतिरिक्त।
- (2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान या ई-चालान पैमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।
- (3) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और चन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
- (4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चय करेगा।
- (5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12- प्रतिशूति जमा :-

- (1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबध्ननों और शतों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप में एक०डी०आर० जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।
- (2) स्वस्थानों (In-situ) घटान किस के खनिज निषेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, र्स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिसम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 है० तक क्षेत्रफल के लिये रु० 25,000/- तथा 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के लिये रु० 50,000/- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एक०डी०आर० के रूप में बंधक की जानी होगी।

13- પટ્ટા વિલેખ કા નિષ્પાદન :-

- (1) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખનન પટ્ટા સ્વીકृતિ સંબંધી આદેશ જારી હોને કે ઉપરાન્ત પટ્ટાધારક દ્વારા ખનન પટ્ટા વિલેખ નિષ્પાદન સે પૂર્વ વાર્ષિક પટ્ટા ધનરાશિ કા પચ્ચીસ પ્રતિશત પ્રતિભૂતિ ધનરાશિ એફ૦ડી૦આર૦, જો નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ નિદેશાલય કે પણ મેં બન્ધક હો, જમા કિયા જાયેગા તથા તદોપરાન્ત જિલા ઉપનિબંધક દ્વારા સૂચિત સ્ટામ્પ શુલ્ક કે આધાર પર પટ્ટાવિલેખ નિર્ધારિત પ્રારૂપ પ્રપત્ર એમ૦એમ૦-૩ મેં તૈયાર કરાકર પટ્ટા વિલેખ (નદી તલ ક્ષેત્ર હેતુ) મહાનિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ દ્વારા સ્વીકृતિ કે ૦૧ માઠ કે ભીતર નિષ્પાદિત કિયા જાયેગા એવં નદી તલ સે મિન્ન ક્ષેત્ર હેતુ મહાનિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ કી સંસ્તુતિ પર શાસન દ્વારા સ્વીકृતિ કે ૦૧ માઠ કે ભીતર નિષ્પાદિત કિયા જાયેગા। પટ્ટાધારક દ્વારા ઉક્ત ખનન પટ્ટા વિલેખ કા પંજીકરણ સમબંધિત જનપદ કે જિલા ઉપનિબંધક અધિકારી સે કરાયા જાયેગા। પટ્ટાવિલેખ કે પંજીકરણ કે ઉપરાન્ત પટ્ટાધારક દ્વારા ઉસકી એક-એક પ્રતિ નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ નિદેશાલય સંબંધિત જિલાધિકારી એવં જિલા ખાન અધિકારી કાર્યાલય કો એક સપ્તાહ કે અન્તર્ગત ઉપલબ્ધ કરાયા જાયેગા।
- (2) ઉપનિયમ (1) મેં વિનિર્દિષ્ટ ખનન પટ્ટે કે પ્રારમ્ભ હોને કા દિનાંક ઉક્ત ઉપ નિયમ કે અધીન વિલેખ નિષ્પાદિત કિયે જાને કે ઉપરાન્ત ઉપનિબંધક દ્વારા પંજીકરણ કિયે જાને કા દિનાંક હોયા।
- (3) પદ્ધ્ય વિલેખ મેં નિર્ધારિત વાર્ષિક પટ્ટા ધનરાશિ કા ભુગતાન પટ્ટેદાર કે દ્વારા ૦૯ સમાન માસિક કિશ્તો (માહ જુલાઈ સે માહ સિતમ્બર તક કી જથ્થી કો છોડકર) મેં નિર્ધારિત તિથિ સે પૂર્વ કિયા જાયેગા, જિસમેં પ્રત્યેક આગામી માહ કી કિસ્ત આગ્રિમ રૂપ સે જમા કી જાયેગી।
- (4) રાજ્ય ય બન ભૂમિ ક્ષેત્રો મેં નિગમો કે પણ મેં સ્વીકૃત ખનન પટ્ટા/નવીનીકરણ કે ઉપરાન્ત એક માઠ કે અન્તર્ગત નિર્ધારિત પ્રપત્ર પર એમ૦ઓ૦યૂ૦ મહાનિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ કે સાથ હસ્તાક્ષરિત કિયા જાના અનિવાર્ય હોયા તથા એમ૦ઓ૦યૂ૦ હસ્તાક્ષર કરને કે ઉપરાન્ત હી ઉપરાન્ત કા ચુગાન/ખનન કાર્ય પ્રારમ્ભ કિયા જાયેગા।

14-પટ્ટે કા સમર્પણ :-

કોઈ ભી પટ્ટેદાર રાજ્ય સરકાર કો ખનન પટ્ટા સમર્પણ કરને હેતુ સમબંધિત જિલા ખાન અધિકારી કાર્યાલય મેં લિખિત પ્રાર્થના પત્ર દેને કી દિનાંક સે અગ્રિમ તીન માહ કી પટ્ટા ધનરાશિ જમા કરને કે ઉપરાન્ત જિલાધિકારી એવં નિદેશક / મહાનિદેશક ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ કી સંસ્તુતિ પર શાસન દ્વારા ખનન પટ્ટા સમર્પણ સ્વીકાર કિયા જાયેગા।

15-પટ્ટે કા સંક્રમણ (Transfer):-

- (1) પટ્ટેદાર :-
- (ક) પટ્ટેદાર કિસી ખનન પટ્ટે કે ઉસમે કિસી અધિકાર, સ્વત્ત યા હિત કો ન તો અભિર્પિત કરેગા, ન શિકમી પર દેગા, ન બંધક રહેગા, ન કિસી અન્ય રીતિ સે ઉસકા સંક્રમણ (Transfer) કરેગા।
- (ખ) ન તો કોઈ પ્રબંધ, સંવિદા યા સમજીતા કરેગા, જિસકે દ્વારા પટ્ટેદાર પર્યાપ્ત માત્રા મેં, પ્રત્યક્ષ યા અપ્રત્યક્ષ રૂપ સે સ્વયં સે મિન્ન કિસી વ્યક્તિ યા વ્યક્તિયો કે નિકાય દ્વારા વિત પોષિત કિયા જા

सकता है या जिससे खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यवित्रियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और नियन्त्रणों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्पानित्याधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकें कम्पनीज (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तरम्—2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना भूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित भूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिसके लिए नियमानुसार शुल्क देय होगा:—

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क — ₹० 2.00 लाख ०५ है० तक तथा ०५ है० से अधिक हेतु ₹० 5.00 लाख।
 2. फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड़ने एवं घटाने हेतु शुल्क — ₹० 2.00 लाख।
- (2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को अन्यथा, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड़ एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या नियन्त्रण का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अपसर प्रदान किये बिना परित नहीं किया जायेगा।

- (3) निजी नाप भूमि के पट्टाधारक की मृत्यु होने पर बिना भू-समियों की सहमति के तथा निजी नाप से भिन्न भूमि के खनन पट्टाधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टाधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16— निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/चुगान कार्य:—

1. नदीताल में अवरिथत वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राजस्व क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढ़वाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० एवं कुमाऊँ मण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० के पक्ष में उनके द्वारा नियंत्रित प्रारूप पर नियमानुसार आयोदन किये जाने पर नियमावली के अध्याय—२ के प्रावधानानुसार रखीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/चुगान कार्य नहीं किया जाता है, तो निगमों द्वारा चुगान का कार्य ई—नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

પરન્તુ યदિ રાજ્ય સરકાર કો યહ પ્રતીતા હોતા હો કि નિગમોં કે દ્વારા કિયે જા રહે ખનન/ચુગાન કાર્ય સે રાજ્યબ ક્ષતિ હો રહી હૈ તો એરી દશા મેં રાજ્ય સરકાર નિગમોં કો આવંટિત સમર્તતા અથવા કિસી ખનન પટ્ટો કો વાપસ લેકર નિયમ-૬૭ કે અન્તર્ગત સફળ નિવિદાકાર/ઠેકેવાર કો નિયમાવલી કે આધ્યાત્મ-૨ કે અનુસાર આવંટિત કિયા જા સકતા હૈ।

2. રાજ્ય સરકાર કિંતી ભી મામલે મેં યદિ ઉસકી રાય હો, તો વિકાસ એવું રાષ્ટ્રહિત મેં લિખિત આજા દ્વારા નિગમોં કે એજ મેં સ્વીકૃત ખનન લોટોં કે કિસી નાગ/ગેટ સે ઉપખનિજોં કી આપૂર્તિ રાષ્ટ્રીય/રાજ્ય મહત્વ કી પરિયોજનાઓં કી કાર્યદારી સંરથાઓં યથા રાષ્ટ્રીય રાજનાર્ગ પ્રાધિકરણ, રેલ વિકાસ નિગમ લિંગ (આસ્ટ્રોનેન્નેલ), ડીઝીઓબીઆર(શેફ), બીઆરઓ, એન્ટીઓસીઓ, યુઝેઓબીએન્નેલ, એન્નેચેઓસીઓ આદિ લો કિયે જાને હેતુ નિર્દેશ દિયે જાને પર નિગમોં કે દ્વારા ઉક્તાનુસાર સમ્વાચ્છિત કાર્યદારી સંરથાઓં કો ઉપખનિજોં કી આપૂર્તિ સુનિર્ણિત કી જાયેગી।

17- રજિસ્ટર :- જિલા ખાન અધિકારી કે કાર્યાલય મેં નિર્માલિખિત રજિસ્ટર રહે જાયેંगે:-

- (ક) પ્રપત્ર એમ૦એમ૦ 2 મેં ખનન પટ્ટો કે લિયે પ્રાર્થના-પત્રોં કા રજિસ્ટર, ઔર
- (ખ) પ્રપત્ર એમ૦એમ૦ 4 મેં ખનન પટ્ટો કા રજિસ્ટર।

અધ્યાત્મ -3

સ્વામિત્વ (રાયલ્ટી) ઔર અપરિહાર્ય ભાટક કા ભુગતાન

18- સ્વામિત્વ :-

- (૧) ઇસ નિયમાવલી કે લાગુ હોને કે દિનાંક કો યા ઉત્તકે પરચાત દિયે ગયે ખનન પટ્ટો કા ધારક, કિસી ઐસે ખનિજ કે સમ્વાચ્છ મેં જિસે ઉક્ત પટ્ટો પર દિયે ગયે ક્ષેત્ર હેતુ ઉપખનિજ કી માત્રા નિર્ધારિત કી ગયી હો, ઇસ નિયમાવલી કી પ્રથમ અનુસૂચી મેં તત્ત્વમય નિર્દિષ્ટ દરોં પર ઉક્ત નિર્ધારિત માત્રા કે સાપેક્ષ આપ્રિમ રૂપ સે સ્વામિત્વ કા ભુગતાન કરેગા, પરન્તુ ત્વરણાનો ચટ્ટાનોં સે સમ્વાચ્છ ઉપખનિજોં કે ખનન પટ્ટો કા ધારક કિસી ઐસે પ્રત્યેક ખનિજ કે સમ્વાચ્છ મેં જિસે ઉસને પટ્ટો પર દિયે ગયે ક્ષેત્ર સે નિકાલા હો, ઇસ નિયમાવલી કી પ્રથમ અનુસૂચી મેં તત્ત્વમય નિર્દિષ્ટ દરોં પર આપ્રિમ રૂપ સે સ્વામિત્વ કા ભુગતાન કરેગા।
- (૨) રાજ્ય સરકાર, ગજાટ મેં વિજ્ઞાપિ દ્વારા કિસી ખનિજ કે સ્વામિત્વ (royalty) કી દર કો ઐસે દિનાંક સે જો વિજ્ઞાપિ મેં નિર્દિષ્ટ કિયા જાયે, શામિલ કરને સે બહિષ્કૃત કરને અથવા બઢાને યા ઘટાને કે લિયે પ્રથમ અનુસૂચી કો સંશોધિત કર સકતી હૈ।

પ્રતીબન્ધ યાહું હૈ કી રાજ્ય સરકાર કિસી ખનિજ કે સમ્વાચ્છ મેં સ્વામિત્વ કી દર કો તીન વર્ષ કી કિસી અવધિ મેં એક બાર સે અધિક નહી બઢાયેગી ઔર સ્વામિત્વ કી દર કો ખનિમુખ મૂલ્ય (Pits mouth value) કે 20 પ્રતિશત સે અધિક પર નિર્ણય નહી કરેગા।

- (૩) યદિ ખનિજ કે ખનિમુખ મૂલ્ય પર સ્વામિત્વ લિયા જાને વાલા હો તો રાજ્ય સરકાર ઐસે મૂલ્ય કા નિર્ધારણ પટ્ટા દેતે સમય કર સકતી હૈ ઔર સ્વામિત્વ કી દર પટ્ટા વિલેખ મેં ઉલ્લિખિત કી

जायेगी। राज्य-सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसको बढ़ाया जाना आवश्यक समझे।

19- अपरिहार्य भाटक-

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त वाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रावल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक वाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट ही जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वरक्षणिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय -4

नीलामी-पट्टा

20-ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :-

- (1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/वन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वरक्षणे (In-Situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, व्यार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई-निविदा/ई-नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।
- (क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं स्वरक्षणे चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, व्यार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टों का आवंटन नियमावली के अध्याय-2 के नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वरक्षणे प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविसेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से गिन राजस्व/वन भूमि के 5.0 हैं तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 हैं से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

- (3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबच्च उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।
- (4) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, रिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी०पी०ए०३० कॉर्डिनेट्स सहित, निश्चिपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उद्तानुसार गठित समिति ने संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई-नीलामी से आवंटन की अप्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवरिथत स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, होलोमाईट, स्लेट, वर्टार्जाईट, परथर, जिप्सम आदि समर्त्त उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्योक्षण में विभागीय गठित भूविज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त विनिहित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूविज्ञानिक/सहायक, भूविज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति विनिहित खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मध्य खसरा खत्तीनी, मानचित्र आदि अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई-नीलामी से आवंटन की अप्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21—ई—नीलामी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :-

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से याप्त ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट शाप्ती दिनांक से, जो इस आध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबच्च उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22—ई—नीलामी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :-

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एम. 5 में रखवायेगा।

23-पट्टे के देने पर निर्वचन :-

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा/ई-निविदा सह ई-नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:-
 - i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
 - ii. जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया हो।
 - iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा सच्च तत्कार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
 - iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
 - vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पैन कार्ड, जीएसटी, पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल की प्रति प्रस्तुत न की हो।
2. प्रतिभागी बोलीदाराओं द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने गे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्लीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकाराम आधार मूल्य के शत-प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अहता समाप्त कर दी जायेगी।

24- ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रों एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में नियम-20(1) के अधीन चिह्नित चप खनिज लॉटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉर्पोरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर खीलूत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन ई-नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर ही जायेगी।

i. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अभिलेख:-

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉर्पोरेट सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। परित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति।

(छः) दैक खाते का विवरण, जिससे ई-नीलामी से सम्बद्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा दैक व शाखा नाम, खाता संख्या, आईएफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त धैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कॉर्पोरेट सोसाइटी के सम्बन्ध में कौपी औफ रेज्यूलेशन के समरत पृष्ठों ली स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशिएशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य में खनन सकियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विस्तर खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(यारह) ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एवं धनराशि आदि-

शुल्क:-ई-नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/यन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रु० 1,00,000/- (रु० एक लाख मात्र) एवं नदी तल से भिन्न राजस्व एवं यन भूमि के रवस्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क ०५ है० क्षेत्रफल तक हेतु रु० 2.00 लाख तथा ५.०० है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु रु० ५.०० लाख विभागीय पेरेंट गेटवे अथवा ट्रेजरी चालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग के जनपद कार्यालय में जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञापि में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक-पृथक जमा किया जाना होगा।

- धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई-नीलामी हेतु बिल्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर० के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा गूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय में जमा न किये जाने की दशा में ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नहीं होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वर्य के खाते से ही एफ0डी0आर० बनवायी जानी होगी।

किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर० की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर० यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिमार्गी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु वैध नहीं माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

तकनीकी निविदा ने सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप में जमा की गयी एफ0डी0आर० वापस कर दी जायेगी।

3. हैसियत प्रमाण पत्र— जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाजोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विकल्प/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर० (राष्ट्रीयकृत बैंकों से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

या

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंकों से बने हो, न्यूनतम् ४८ माह की अवधि के) जो निवेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेंगे।

25— ई—नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना:-

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-१ बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिमूर्ति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ.डी.आर. के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच-०-१ बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अनेस्ट मनी को जब्त करते हुए उनके विलद नियम-२३(२) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-२ बोलीदाता को एच-१ द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिमूर्ति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ.डी.आर. के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीक्रम में H3 तक अपनाई जायेगी। एच-३ द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई—नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई—नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्चतम बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिमूर्ति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का रीमाइंगन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन.बी.डब्ल्यू.एल.० (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु ०६ (छ.) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजरथ/दन भूमि के स्वरस्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु ०१ वर्ष की अवधि (जिसमें ०६ माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु समितित है) का “आशय पत्र (Letter of Intent)” निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर ०६ माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।
3. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की रखीकृति से ०२ वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिवर्यों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का ०५ प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्बन्धित विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ईआईए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एनबीडब्ल्यूएल० (National Board of Wild Park) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1990 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवरित्ता उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोत्स्वेकितांग रिपोर्ट एवं अन्व बांधित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
5. शासन, मा० न्यायालयों एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश वाईकारी होंगे।
6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निघन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अत्येतर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा वा छोड़कर) की प्री-बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।
8. आशयपत्र में उल्लिखित समरत अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
9. अन्य मानक व शर्त, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

26- पट्टा विलेख का निष्पादन :-

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ०डी०आर० को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदी तल अवरित्ता उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिवस्थक द्वारा सुचित स्टाप शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-६ में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवरित्त स्थानों किरम के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिवस्थक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सराह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

2. પટ્ટે કી અવધિ કી સંગણના— સ્વીકૃત ખનન/ચુગાન પટ્ટોં કી પટ્ટાવધિ કી સંગણના પટ્ટા વિલેખ નિષ્ઠાદન કે ઉપરાન્ત ઘંઝીકરણ કી તિથિ સે નદીતલ રિથત રાજરવ/વન ભૂમિ મેં અવસ્થિત ઉપખાનિઓની કે ખનન પટ્ટોં હેતુ અગ્રેત્તર 05 વર્ષ કી અવધિ એવં 05 હેતુ સે અધિક દોત્રકલ કે ખનન પટ્ટે 10 વર્ષ કી અવધિ કે લિયે તથા સ્વસ્થાને પ્રકૃતિ કે ઉપખાનિજ કે ખનન ક્ષેત્ર હેતુ 25 વર્ષ કી અવધિ કે લિયે સ્વીકૃત કિયે જાયેને।

પરન્તુ પૂર્વ કે ઈ—નિધિદા સહ ઈ—નીલામી સે સ્વીકૃત ઐસે ખનન પટ્ટે, જિનકી પટ્ટાવધિ કી ગણના આશય પત્ર (Letter of Intent) કી તિથિ સે કી ગયી હૈ, કી પટ્ટાવધિ કી ગણના પટ્ટા વિલેખ કે નિષ્ઠાદન કે ઘંઝીકરણ કી તિથિ સે અગ્રેત્તર 05 વર્ષ હેતુ કી જાયેની। ઉક્ત પ્રાવિધાન માત્ર ઉન ખનન પટ્ટોં પર હી લાગુ હોગા, જિનકી સમયાવધિ દિનાંક 31.12.2023 તક અવશેષ હૈ।

3. પૂર્વ મેં ઈ—નિધિદા સહ ઈ—નીલામી સે સ્વીકૃત ખનન પટ્ટોં હેતુ સફળ નિધિદાદત્ત ધનરાશિ (ઈ—નીલામી બોલી કા 10 પ્રતિશત) એવં પ્રોસ્પેક્ટિવ પટ્ટાધારક ધનરાશિ (ઈ—નીલામી બોલી કા 10 પ્રતિશત) એવં આશયપત્ર કે અગ્રેત્તર વર્ષ કે નવીનીકરણ હેતુ જમા 20 પ્રતિશત ધનરાશિ કો ઉક્ત ખનન પટ્ટોં કી અગ્રેત્તર વર્ષોં કી પટ્ટા ધનરાશિ કે સાપેક્ષ સમાયોજિત કિયા જા સકેગા।
4. યદિ નદી તલ રિથત રાજરવ/વન ભૂમિ મેં બાલૂ યા મૌરંગ યા બજરી યા બોલ્ડર યા ઇનમેં સે કોઈ ભી મિલી—જુલી અવસ્થા મેં હો, કે લિયે ખનન પટ્ટા દિયે જાને કે આદેશ દે દિયા હો, વહાં ઉચ્ચ બોલી કી ધનરાશિ કા પચ્ચીસ પ્રતિશત, આદેશ કે દિનાંક કે સાત દિન કે ભીતર યા સાત દિન સે અનધિક ઐસી અગ્રેત્તર અવધિ કે ભીતર જૈસી નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ નિદેશાલય અનુમતિ કરે, જમા કર દી જાયેની ઔર પ્રપત્ર એમ૦એમ૦—૬ મેં યા લગભગ ઉસકે સમાન પ્રપત્ર મેં, જૈસા પ્રત્યેક મામલે કે પરિસ્થિતિઓ દ્વારા આપેક્ષિત હો, એક પટ્ટા વિલેખ ઉક્ત આદેશ કી સંસૂચના કે દિનાંક સે એક માહ કે ભીતર યા ઐસી અગ્રેત્તર અવધિ કે ભીતર, જૈસી નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ નિદેશાલય તદર્થ અનુમતિ કરે, નિષ્ઠાદિત કર દિયા જાયેગા।

પરન્તુ યદિ નદી તલ સે મિન રાજરવ/વન ભૂમિ મેં સ્વસ્થાને પ્રકૃતિ કે ઉપખાનિઓનો સોપસ્ટોન, સિલિકા સૈણ્ડ, બેરાઇટ, ડોલોમાઇટ, સ્લેટ, ક્વાર્ટ્ઝાઇટ, પાથર, જિષ્પસમ આદિ કે લિયે ખનન પટ્ટા દિયે જાને કે આદેશ દે દિયા હો, વહાં ઉચ્ચ બોલી કી ધનરાશિ કા પચ્ચીસ પ્રતિશત, આદેશ કે દિનાંક કે સાત દિન કે ભીતર યા સાત દિન સે અનધિક ઐસી અગ્રેત્તર અવધિ કે ભીતર, જૈસી રાજ્ય સરકાર/શાસન અનુમતિ કરે જમા કર દી જાયેની ઔર પ્રપત્ર એમ૦એમ૦—૬ મેં યા લગભગ ઉસકે સમાન પ્રપત્ર મેં, જૈસા પ્રત્યેક મામલે કે પરિસ્થિતિઓ દ્વારા આપેક્ષિત હો, એક પટ્ટા વિલેખ ઉક્ત આદેશ કી સંસૂચના કે દિનાંક સે એક માહ કે ભીતર યા ઐસી અગ્રેત્તર અવધિ કે ભીતર, જૈસી જૈસી રાજ્ય સરકાર/શાસન તદર્થ અનુમતિ કરે, નિષ્ઠાદિત કર દિયા જાયેગા।

27. પટ્ટા કા રજિસ્ટર :

1. ખનન પટ્ટોં કા એક રજિસ્ટર જિલા અધિકારી એવં જિલા ખાન અધિકારી કે કાર્યાલય મેં પ્રપત્ર એમ૦એમ૦—૭ મેં રખા જાયેગા ઔર ઉસકી એક પ્રતિલિપિ જિલા ખાન અધિકારી દ્વારા નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખનિકર્મ કો ભેજી જાયેની।

अध्याय -5

खनन पट्टे की शर्तें

28— इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होगी :

- (1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समापिष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29— अन्य खनिजों की खोज :

- (1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।
- (2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

30— विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा :-

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31— खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :-

- (1) सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिवन्धक द्वारा विलेख के निवन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (2) नदी तल उपर्यन्ति क्षेत्रों एवं स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निषेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें यार्थिक विकास योजनाओं का ब्लौरा होगा, की जायेगी।
- (3) उच्चनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपर्योगों के अन्तर्गत अहता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आरक्ष्यूपी० (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।
- (4) पट्टेदार आरक्ष्यूपी० द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियां अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

से लगे क्षेत्रों में बालू, बजरी, बोल्डर (आर०बी०एम०) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिष्पम आदि के खनन पट्टे की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क ₹० ५०,०००/- देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

- (5) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संकियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी०जी०पी०एस० कोडिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानिच्चत्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा रिथिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी रुदीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, सभीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता १:१०,००० का सैटेलाईट मानिच्चत्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अधारान सीमा स्पष्ट रूप से विनिहित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए विनिहित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी०जी०पी०एस० कोडिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी०जी०पी०एस० कोडिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एवं सैटेलाईट मानिच्चत्र पर यथारिथिति राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से विनिहित किया जाना होगा। समस्त मानिच्चत्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
- (6) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिष्पम आदि के खनन पट्टे से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से ०३ माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के दिना संचालित न हो।
- (7) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिष्पम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रु० २.०० लाख (दो लाख) ५.०० है० बोत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा ५.०० है० से अधिक के खनन पट्टों हेतु रु० ५.०० लाख (रुपया पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में ०५ वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।
- (8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिष्पम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तरि निरन्तर ०२ वर्ष तक खनन कार्य बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई का युवित-युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

32— सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :-

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्थान के बाय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्बे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33— खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना :-

पट्टेदार खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखेगा, जिसमें वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निवन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी विक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34— खाईयों, गड़ों आदि का अभिलेख रखना :-

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी उनन रांकियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाईयों, गड़ों और बरमा में दनाये गये सूराखों (Drillings) का ठीक-ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

- (क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गढ़े खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जाये।
- (ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।
- (ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

35— पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टैक आदि लगाना :-

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टैक लगायेगा (strength & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की सभ में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सड़क (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या घरनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टैक लगाना आवश्यक हो।

36— अप्रक्रयाधिकार (हक्कशक) :-

- (i) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अप्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अप्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

- (2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो सच्च सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को देचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हें ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37—पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :-

नियम 36 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा—

- (क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर ग्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, धेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बर्में द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ज करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निर्स्तारण करना।
- (ख) उक्त भूमि में कोई गडडा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल, जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।
- (ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत स्थापित करना, प्रसाधन करना, फर्श बिछाना, भट्टिया बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना।
- (घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था रद्दी के बाय पर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/छच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के बाय पर कर सकता है।
- (ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईटों या खैपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खैपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईट या खैपरैल (tiles) को बिना अनुमति न देचना।
- (च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों छे लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और
- (छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियों (under growth) और घनी झाड़ी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्ही वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

38— पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :-

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :—

- (क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज सड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।
- (1) किसी सार्वजनिक स्थल, शामशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम-स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये
- (2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (ख) पट्टे में असमिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से मिन्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।
- (ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।
- (घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।
- (ङ) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सड़कों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी रक्षान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से वित्तिपर्लम (horizontally) से और भवन की दशा में उसकी कुर्ती (plinth) से वित्तिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये इस "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कूट्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से मिन्न हो और ग्राम-सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अधिकारी में ग्राम-सड़क के रूप में किया गया हो।

- (ચ) કિસી ઐસી ભૂમિ કે સમ્વન્ધ મેં જો પટ્ટેદાર દ્વારા ઘૃત ચૂંણી મેં સમાવિષ્ટ હો યા ઉસસે આસન હો યા ઉસસે અમિગમ્ય હો, સરકારી પટ્ટે યા અનુજ્ઞા-પત્ર કે વર્તમાન યા ભાવી ધારકોં કો વહાં આને-જાને કી સમુચ્છિત સુધિધાર્યે દી જાયેગી। યદિ ઇસ રૂપતન્ત્રા કા પ્રયોગ કરને કે કારણ ઐસે પટ્ટાધારિયોં યા અનુજ્ઞાપત્રધારિયોં દ્વારા કોઈ હાનિ યા ક્ષતિ પહુંચાઈ જાયે તો ઐસે પટ્ટેદારોં યા અનુજ્ઞાપત્રધારી દ્વારા પટ્ટેદાર કો ઉસકે લિયે ઉચિત પ્રતિકર (જો પરસ્પર સહમતિ દ્વારા તથ હો અસહમતિ હોને એ દશા મેં, જો સમ્વન્ધિત જિલાધિકારી દ્વારા વર્ણિત કિયા જાયે) દેય હોગા। રૂપથાને ચટ્ટાનોં મેં પટ્ટાધારક એવું ભૂ-સ્વામી કી આપસી સહમતિ સે ખનન કાર્ય કિયા જાયેગા। યદિ ભૂ-સ્વામી દ્વારા એક બાર કિસી નિરિચત અવધિ કે લિએ ખનન કાર્ય કિયે જાને કી સહમતિ હેતુ અનુબન્ધ કિયા ગયા હૈ તો ઉક્ત અવધિ મેં દી ગયી સહમતિ કો વાપસ નહીં લે સકેગા એવું અનુબન્ધ કે નવીનીકરણ કે સમય પટ્ટાધારક એવું ભૂ-સ્વામી કે મધ્ય સાહમતી નહીં બન પાતી હૈ તો ઐસી રિષ્ટસ્ટિ મેં પટ્ટાધારક દ્વારા ભૂસ્વામી કી સમ્વન્ધિત ભૂમિ કો સમતાલ કર ફસલી મુઆવજા પ્રતિવર્ષ ભૂસ્વામી કો દેના હોગા તાકિ ખનન કાર્ય પ્રમાણિત ન હોય। પટ્ટાધારક એવું ભૂ-સ્વામિયોં કે મધ્ય કિસી ભી પ્રકાર કા વિવાદ હોને પર ઉક્ત કે સમ્વન્ધ મેં સમ્વન્ધિત જિલાધિકારી આર્બિટર હોંગે તથા ઉનકા નિર્ણય અનિષ્ટ હોગા।
- (૭) પટ્ટેદાર કે દ્વારા નદી તલ મેં સ્વીકૃત ખનન ક્ષેત્રોં મેં ખનન/ચુગાન કાર્ય સત્તા સે અધિકતમ 03 મી૦ કી ગહરાઈ તક અથવા ભૂ-જલ રસ્તર, જો ભી કમ હો, તક કિયા જાયેગા।

39— સમી દાવોં કે વિરુદ્ધ પટ્ટેદાર સરકાર કો ક્ષતિપૂર્તિ કરેગા :—

પટ્ટેદાર સમી હાનિ યા વિક્ષેપ કે લિયે, જો પટ્ટે દ્વારા દિયે ગયે અધિકારોં કો પ્રયોગ કરને મેં ઉસકે દ્વારા કી ગયી હો, ભૂગતાન કરને કી પ્રત્યામૃતી (guarantee) દેગા ઔર ઐસે સમુચ્છિત પ્રતિકર કા ભૂગતાન કરેગા જો રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કી જાયે ઔર ઉન સમી દાવોં, વાદોં તથા નાંગોં ઔર ઉનકે પ્રતિ જો કિસી ઐસી હાનિ, ક્ષતિ યા વિક્ષોમ કે સમ્વન્ધ મેં કિસી વ્યક્તિ યા કિન્હી વ્યક્તિયોં દ્વારા કી જાયેગી યા લાયી જાયે ઔર ઉનકે સમ્વન્ધ મેં સમી પરિવ્યક્તોં કો રાજ્ય સરકાર કો ક્ષતિપૂર્તિ કરેગા તથા પૂર્ણતાયા ક્ષતિપૂર્તિ કરતા રહેગા।

40— પટ્ટેદાર ગઢ્ડો, કૂપકોં આદિ કો સુરક્ષિત ઔર અચ્છી દશા મેં રહેણા :—

પટ્ટેદાર પટ્ટે કી અવધિ મેં ઐસે સમી ગઢ્ડો, કૂપકોં (shafts), ઔર કાર્યકારણોં (workings) કો, જો ભૂમિ બનાયે જાયે યા પ્રયુક્ત કિયે જાયે, ઇમારતી લકડી યા અન્ય સ્થાયી ઉપાયોં સે પર્યાપ્ત રૂપ સે સુરક્ષિત ઔર ખુલા રહેણા ઔર રાજ્ય સરકાર કે સંતોષાનુસાર પ્રત્યેક ઐસે ગઢ્ડે, કૂપક યા કાર્યકરણ કે ચારોં ઓર, ચાહે વહ પરિત્યક્ત કર દિયા ગયા હો યા નહીં, પર્યાપ્ત રૂપ સે બાઢે લગાયેણા ઔર ઉનકા અનુરક્ષણ કરેણા ઔર ઉસી અવધિ મેં ભૂમિ પર કે સમી કાર્યકરણોં કો સિવાય ઉનકે, જો પરિત્યક્ત કિયે જાયે, પ્રવેશ્ય ઔર યથાસંભવ જલ એવું દૂષિત વાયુ સે મુક્ત રહેણા।

41—પટ્ટેદાર, કાર્યકરણોં કે નિરીક્ષણ કી અનુમતિ દેણા :

પટ્ટેદાર, કેન્દ્રીય સરકાર યા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાર્થ પ્રાધિકૃત કિસી અધિકારી કો ભૂ-ગૃહ દિનાંક સે, જિસકે અન્તર્ગત પટ્ટે મેં સમાવિષ્ટ કોઈ ભવન, ઉત્ખનન યા ભૂમિ ભી હૈ, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, સર્વેશણ કરને ઔર ઉસકે નકશો (plan) બનાને, ન્યાદર્શન (sampling) ઔર કોઈ આધાર સામગ્રી એકત્ર કરને કે પ્રયોગન કે

लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workman) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबंध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझें।

42— पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :—

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुँचे या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुँचे या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े या वह संकट में पड़ जाये।

43— पट्टेदार आवृनिक तौल गशीन एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :—

- (क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूट्राइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये रख्य के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आवृनिक आई०पी० बेरड सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर०एफ० आई०डी० रक्केनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-11 पर अंकित बारकोड का ढाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं रादैय उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० रक्केनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-६३ के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/आदेशों का कहाई से अनुपालन सुनिश्चय किया जायेगा।
- (ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टाधारि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की रवीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44— उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति:

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

45— पहुंचारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापति (यदि लागू हो), एन०वी०डब्ल्य०एल० की अनुमति (यदि लागू हो)।

खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मात्र न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन खनन संक्यायें साम्पादित की जायेंगी।

46— पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूछ करने के लिये आवश्यक हो।

47—सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :-

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अनिम होगा।

48— जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :-

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से ४५ दिनों की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49— सार्वजनिक रथल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी:-

क— राज्य के बन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपर्यन्ति क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से १५-१५ प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम १० मी० छोड़कर उपर्यन्ति का चुगान कार्य किया जायेगा।

ख— शमशान, सार्वजनिक रथल आदि से ५० मी० की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपर्यन्ति का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

ग— नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा छाउन त्रीम में १०० मी० की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबन्धित होगा।

50 — खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें:-

1. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपर्यन्ति की मात्रा का आंगन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निवेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क

निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंचीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, वर्वार्टजाईट, पत्थर, जिसम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विश्लेषण की गई उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी घनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना में निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित ज्ञप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निष्कैप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, वर्वार्टजाईट, पत्थर, जिसम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भाँति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराये जाने की स्वतन्त्रता होगी।
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जी०सी०बी०, पोकलैण्ड, सैक्षन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

7. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, वर्वार्टजाईट, पत्थर, जिसम आदि के खनन पट्टों में Mechanized विधि से खनन संक्रियाएँ संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।
8. पट्टाधारक राज्य सरकार ग्राथया केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आवकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जगा किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्योरत के मध्य करेगा।
10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उवत आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की रिस्ते में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्ता कर आयोदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अवधि का

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख ये पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख ₹० 10,000/- के स्टाम्प पैपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से ०६ माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वरथानें घट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं ढाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा ढाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर ₹० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वरथानें (In-situ) घट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपरस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, ब्यार्टजाईट, पर्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को २५ प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वरथानें (In-situ) घट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूधसाव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय -६

खनन अनुज्ञा-पत्र

51— खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्वाचन :-

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरुद्ध या उसके परिवार के विरुद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गड्डे/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में मवनों के निर्माण हेतु बैसमेन्ट खुदान, ईट मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा शॉटर मार्ग निर्माण के कठान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम ०६ माह (छ: माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52— खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :-

खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम० ८ में चार प्रतियों में जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए रथलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:-

- (1) आवेदन शुल्क ₹0 10,000.00 की जमा रखीद।
- (2) मूःकर सर्वेक्षण मानवित्र की चार सत्यापित प्रतियां वा ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानवित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, रपट रूप से चिन्हांकित हो।
- (3) खसरा खत्तौनी की सत्यापित प्रति।
- (4) खनन अद्येता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।
- (5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।
- (6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
- (7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- (8) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।
- (9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53— प्रार्थना पत्र का निस्तारण :-

1. उपरोक्त नियम-52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु रथलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अधिकाता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में रथल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्थानी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलाएँ हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संरक्षित पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator नशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परियहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्थानी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रबलित रायलटी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यायरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. नियम-51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय-2 के नियम-7 में गठित समिति के द्वारा रथलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

जांच आख्याओं के आधार पर समन्वित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्वाचनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धूता है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और यह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से समन्वित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डिपिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में भैदान/हैलीफैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डिपिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु रामबन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रवत्तित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त समन्वित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त सप्तविंश की अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किसम के खनिज निहोप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, थैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्स आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अत्य अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।
5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, शानीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, ढी०जी०बी०आर(प्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण रथत से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जगा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु समन्वित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54-स्वामित्य या जमा किया जाना :-

- (1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुख्त स्वामित्य अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता है तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापत्त नहीं की जायेगी।

- (2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अध्रेतर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55— खनन अनुज्ञा—पत्र का जारी किया जाना :-

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा—पत्र प्रपत्र एम०एम० 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्देशनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56— खनन अनुज्ञा—पत्रों का रजिस्टर :-

खनन अनुज्ञा—पत्रों के सभी प्रार्थना—पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा—पत्रों के बारे के साथ प्रपत्र एम०एम०—९ में खनन अनुज्ञा—पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खान अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय—७

उल्लंघन अपराध और शक्तियां

57— अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :-

- (1) जो कोई भी नियम—३ के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्तराधिकारी खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तात्पर्यात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूत की जायेगी।
- (2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अधिक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय—समय पर आकरणिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर सम्भव नियम/आदेश जारी किये जायेंगे।
- (4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से मार्हिनिंग सर्विलांस सिरटम लागू किया जायेगा।
- (5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई—खनना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियन्त्रण अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

58— स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :-

- (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस नियमित प्राधिकृति कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बत्त की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (सायलटी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (खस्थाने घटानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये नियित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में पसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना यी अपयि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमाकान शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण व्याज लिया जा सकता है।

59— कठिपथ शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :-

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्ही शर्तों को भंग करें, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से, जो ₹ 2.00 (दो) लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60— सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम :-

- (1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा चयिता समझा जाय, काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई-नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्त ढाले रत्नम में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय— 8

विविध

61— प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :-

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आङ्ग में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिवच्च यह है कि कोई ऐसी आशा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62— रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :—

- (1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रुपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।
 - (2) उपनियम (1) में अभिविष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :
- (क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रुपये और।
- (ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रुपये।

स्पष्टीकरण :- (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथारिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक ई-नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :- (2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथारिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रैजरी चालान लगाना होगा।

63— नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :—

खनन पट्टे का ग्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64— शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :—

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65— छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :—

- (1) खनन का प्रत्येक त्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।
- (2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के त्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी त्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66— निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :—

- (1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के समबद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी—
 - (क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।
 - (ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।
 - (ग) किसी खान में पढ़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।
 - (घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो और उस पर फहचान के बिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।
 - (ड) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।
 - (च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और
 - (छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

- (2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भास्तीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथारिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधित बाध्य होगा।

67— भूमि छे स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा:—

- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई

प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपचानिज पट्टा हटाने के लिये अधिभूत्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिए संपर्योग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के सक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हो।

- (2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा-पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:—
 - (क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।
 - (ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।
 - (ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/गौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्य विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन कराते हुए तैयार किये गये वास्तविक आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यवित्रयों/संस्थाओं को दी जायेगी।

68—विशेष मामलों में नियमों का शिखिल किया जाना :—

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तें और प्रतिबन्धों से मिन शर्तें और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69—स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :—

- (1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से त्वागित या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब शज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निरेशित की जाये।
- (2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित हैं।

- (3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, पौंच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहर्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेंडर आमंत्रित करके या ई-टेंडर/ई-नीलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती हैं, जो उपयुक्त समझी जाये। ठेकेदार/निविदाकार के चयन के लिए अर्हता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक रूप से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- (4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (5) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70- खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :-

- (1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 में पास जारी करेगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल लो छोड़कर, पशु, गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 में तथा राज्य के बाहर ई-रवन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई-ट्रॉजिट पास (ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-11 एवं ई-रवन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") के ऑनलाइन जनरेशन (Online generation) द्वारा उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाइन ई-ट्रॉजिट पास (ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-11 एवं ई-रवन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जायें, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रॉजिट पास (रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-11 एवं रवन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।
- (4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" लो ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।
- (5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में समिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चैक पोस्ट)/मोबाइल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझें।

- (6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये रथापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।
- (7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाव कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो ₹0 2.00 (दो) लाख रुपये तक हो सकता है।
- (9) अवैध परिवहन या ई-रवना प्रपत्रों का दुरुपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई-रवना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71—प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके हारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें।

72—पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:-

- (1) निजी नाप भूमि को छोड़कर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17-के अधीन आरक्षित था, मुकः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का व्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।
- (2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि किर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेतर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नवे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।
- (3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम-20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व

સમજા જાયેગા ઔર ઉસ પર વિચાર નહીં કિયા જાયેગા ઔર યदિ કોઈ પ્રાર્થના પત્ર શુલ્ક દિયા ગયા હૈ તો ઉસે વાપ્સ કર દિયા જાયેગા।

73— વિવરણીય (રિટન્સી):

- (1) ઇસ નિયમાવલી કે અધીન ખાનિજ પરિહાર ધારક પ્રલ્યેક માહ કે આગામી 07 તારીખ તક પ્રપત્ર એમ૦એમ૦-12 મેં જિલાધિકારી ઔર જિલા ખાન અધિકારી કો નાસિક વિવરણી પ્રસ્તુત કરેગા।
- (2) જાબ કમી ભી ખાનિજ પરિહાર ધારક ઉપનિયમ (1) મેં વિનિર્દિષ્ટ સમય કે ભીતર વિવરણ પ્રસ્તુત કરને મેં વિફળ હોતા હૈ તો યહ રૂ0 5000.00 કી શાર્ટ કા ભાગી હોગા।

74— અપરાધોની સંજ્ઞાન:-

- (1) કોઈ ન્યાયાલય, જિલા અધિકારી યા ઉસકે દ્વારા તદર્થ પ્રાધિકૃત કિસી અધિકારી કે લિખિત પરિવાદ જિસમે ઐસે અપરાધ કે ગઠન કરને વાલે તથ્યોની કા ઉલ્લેખ હોગા, કે સિવાય ઇસ નિયમાવલી કે અધીન દણનીય કિસી અપરાધ કા સંજ્ઞાન નહીં લેગા।
- (2) પ્રથમ શ્રેણી કે માર્જિસ્ટ્રેટ ન્યાયાલય સે નિભન શ્રેણી કા કોઈ ન્યાયાલય ઇસ નિયમાવલી કે અધીન અપરાધ કા વિચાર નહીં કરેગા।

75— અપરાધોની શમન :-

- (1) ઇસ નિયમાવલી કે અધીન-દણનીય કિસી અપરાધ કા શમન અમિયોજન સંરિથત કિયે જાને કે પૂર્વી યા પદ્ધતાત નિદેશક, ભૂતત્વ એવં ખાનિકર્મ નિદેશાલય યા જિલાધિકારી દ્વારા યા ઐસે અધિકારી દ્વારા, જિસે રાજ્ય સરકાર સામાન્ય યા વિશેષ આદેશ દ્વારા તદર્થ પ્રાધિકૃત કરે, રાજ્ય સરકાર કો ઐસી ધનરાશિ કા મુગતાન કરને પર, જેસી ઐસા અધિકારી વિનિર્દિષ્ટ કરે, કિયા જા સકેગા :-

પ્રતિબંધ યાં હૈ કે કેવું અર્થ દણ સે દણન વિભાગીય કિસી અપરાધ કી દરા મેં, ઐસી ધનરાશિ ઉસ અપરાધ કે લિયે આરોપિત કી જા સકને વાલી અધિકરામ ધનરાશિ સે અધિક નહીં હોગી।

- (2) જહાં ઉપનિયમ (1) કે અધીન કિસી અપરાધ કા શમન કિયા જાતા હૈ, વહાં ઇસ પ્રકાર શમન કિયે ગયે અપરાધ કે સમયની મેં અપરાધી કે વિરુદ્ધ યથાર્થિતિ કોઈ કાર્યવાહી યા અગ્રેત્તર કાર્યવાહી નહીં કી જાયેગી ઔર અપરાધોની કો, યદિ અપિરક્ષા મેં હો, તત્કાલ ઉન્નોચિત કર દિયા જાયેગા।
- (3) ઉપનિયમ (1) કે અધીન અપરાધ કા શમન કરને વાલા અધિકારી એક રજિસ્ટર રહેગા, જિસમે નિમલિખિત વ્યારોની કો દર્શાયા જાયેગા :-

 - (ક) ક્રમ સંખ્યા (વિત્તીય વર્ષ)
 - (ખ) અપરાધી કા નામ ઔર પતા।
 - (ગ) દિનાંક ઔર અપરાધ કે વર્ણિ।
 - (ઘ) શમન ધનરાશિ ઔર ઉસકે મુગતાન કા દિનાંક।
 - (ડ) દિનાંક ઔર મોહર સહિત અધિકારી કે હસ્તાક્ષર।

76— पुलिस की सहायता:-

नियम 66 के अनिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहमत प्रयोग के लिये रथानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उत्तराखण्ड अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्बन्ध सहायता देगी।

77— अपील :-

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला खान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश कुछ प्रकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहाँ अपील की जायेगी।

78— पुनरीक्षण :-

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्ययाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह चित्र समझे।

79— शुल्क :-

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम० 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्देदी वीस हजार रुपये का शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

પ્રથમ અનુસૂચી (દેરેખે નિયમ-18)

ખાનિજ	સ્થાનિત્વ (લાયલ્ટી) કી દરો (રૂઠો મે)
1- ચૂના પટ્યાર	200.00 પ્રતિ ટન
2- માર્વીલ યા માર્વીલચિપ્સ (સંગ્રહમાર)	500.00 પ્રતિ ટન
3- ઈંટ બનાને કી ગિટ્ટી	100.00 પ્રતિ હજાર ઈંટ
4- શીરા (સાલ્ટ પીટર)	6.00 પ્રતિ કિલોગ્રામ યા 600.00 પ્રતિ કુન્ઠાલ
5- ઇમારતી પટ્થર (વિલિંગ સ્ટોન)- 1. ચમી પ્રકાર કે ઉપ ખાનિજોં સે નિર્મિત (શૈનાઇટ કો છોડકાર) સ્લૈન્સ અશાલર સહિત સાઈઝ ડાયમેન્શનલ સ્ટોન (જિસકી કોઈ ભી એક સાઈઝ 25 સેમીઓ સે અધિક હો)	350.00 પ્રતિ ટન
2. ગિલ સ્ટોન વ હથચલ્ફી (સૈણ્ડસ્ટોન વાર્ટાઈઝિંગ)	500.00 પ્રતિ ટન
6- નદી તલ સે બિન ખનન પદ્ટો સે પ્રાસા ખણ્ડાસ/બોલ્ડર્સ (જિસકી કોઈ ભી એક સાઈઝ 25 સેમીઓ સે અધિક ન હો), બજરી/ગિટ્ટી બેલાસ્ટ સિંગલ/પહાડોં કે કારણ સે ઉત્પન્ન મોરમ/બાલુ	88.50 પ્રતિ ટન
7- ગ્રેનાઇટ (સાઇઝ) ડાયમેન્શનલ સ્ટોન	1000.00 પ્રતિ ઘંટીઓ
8- નદી તલ મેં રાજસ્વ/બન મૂળી મેં ખનન પદ્ટા હેતુ ચપલબ્ધ સાધારણ બાલુ યા મોરમ યા બજરી યા બોલ્ડર યા ઇસમેં સે કોઈ ભી મિલી જુલી અવસ્થા મેં હો (નિઝી મૂળી કો છોડકાર)	1. 8.50 પ્રતિ કુન્ટલ (ગૌલા નદી) 2. 8.00 પ્રતિ કુન્ટલ (કોસી, દાબકા નદી) 3. 7.00 પ્રતિ કુન્ટલ (હરિદ્વાર એવં અન્ય સ્થાન હેતુ)
9- નદી તલ/નદી તલ સે લાગી નિઝી નામ મૂળી મેં ખનન પદ્ટા હેતુ ચપલબ્ધ સાધારણ બાલુ યા મોરમ યા બજરી યા બોલ્ડર યા ઇસમેં સે કોઈ ભી મિલી જુલી અવસ્થા મેં હો	7.00 પ્રતિ કુન્ટલ રૂઠા રૂઠ 7.00 પ્રતિ કુન્ટલ અતિરિક્ત રૂપ સે
10- કાર્બદધી સંસ્થાઓં સહિત સમસ્ત પ્રકાર કી ખનન અનુઝ્ઞાઓ હેતુ (સાધારણ મિટ્ટી કી અનુઝ્ઞા કો છોડકાર)	7.00 પ્રતિ કુન્ટલ રૂઠા રૂઠ 7.00 પ્રતિ કુન્ટલ અતિરિક્ત રૂપ સે
11- કંકણ	200.00 પ્રતિ ટન
12- સાધારણ મિટ્ટી	50.00 પ્રતિ ટન
13- સિલિકા સૈણ્ડ	100.00 પ્રતિ ટન
14- બોલોમાઇટ	500.00 પ્રતિ ટન
15- વેરાઇટ	250.00 પ્રતિ ટન
16- એવાર્ટાઈઝિંગ	100.00 પ્રતિ ટન
17- ચોપરટોન	1. નિન શેણી - રૂઠ 350.00 પ્રતિ ટન (Brightness 85 પ્રતિશત રો કરા) 2. ઉચ્ચ શેણી - રૂઠ 450.00 પ્રતિ ટન (Brightness 85 પ્રતિશત વ ઉચ્ચસે અધિક)
18- શન્ય કોઈ ખાનિજ જો લંપર સૂચિત નહીં હૈ	ખાનિજુથ ગૂલ્ય કા 20 પ્રતિશત

द्वितीय अनुसूची (देखें नियम-19)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (हेडरेन्ट) की वार्षिक दर (₹० में)
1- मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
2- चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
3- नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी० से अधिक हो), बजरी /मिट्टी थैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षत्रण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
4- नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी भिन्नी जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
5- साधारण मिट्टी (आर्डिनरी वले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अथे)	25,000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
6- खनिज सिलिका सैप्ल हेतु	6000.00 प्रति हैक्टेएक्ट प्रति वर्ष य तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
7- खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
8- खनिज व्हार्टजाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
9- खनिज थेराईट	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
10- खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टेएक्ट प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)

तृतीय अनुसूची
THIRD SCHEDULE
प्रपत्र एम. एम.-१
खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम-५)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक 20.....

(समय) बजे
 (स्थान)
 (दिनांक) को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,
 जिला खान अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
 जनपद.....
 महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय ।

2. उक्त नियमावली में नियम ६ के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क रुपया जमा कर दिया गया है ।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

- (एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
- (दो) क्या प्रार्थी गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है:-.....
- (तीन) यदि प्रार्थी :-
- (क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता
- (ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान
- (ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निवेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा घृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.....
- (घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता.....

- (चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.....
 (पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.....
 (छ) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है.....
 (सात) उस क्षेत्र का घोरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है:-

जिला	ताहसील	परगना	ग्राम	खसरा	दोत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के हाथ छृत है और यदि छृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में पिशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संशोधित विवरण :-

- (क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।.....
 (ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यपूर्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, घन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज़); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।.....
 (ग) भू-कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, भरातल मानचित्र (टोपो शैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की ऐक्षीय दूरियाँ और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के भरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदनुलेप यथासम्भव ठीक-ठीक दिक्करिति (विवरिंग)।.....
 (घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश विन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये।.....
 (नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :-
 (क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;.....
 (ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्थीकार न किया गया हो;.....
 (ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;.....
 (दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो
 (द्वारह) रीति, जिसके अनुसार संश्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उपयोग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।.....
 (बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.....
 (तीरह) अन्य यांचित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:-
 (क) उपयुक्त विन्दु-2 पर उल्लिखित घनताशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेंटे गेट-पैरसीद/कोषगार धालान आदि के विवरण।.....

- (ख) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की राजस्व विभाग से चार सत्यापित प्रतियां।.....
- (ग) खरासा खत्तीनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां।.....
- (घ) खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेवता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार घारित नहीं करता है या घारित नहीं किया था तो इस कथन का रापथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।.....
- (ङ) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/रापथ पत्र की प्रति।.....
- (च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (छ) गूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।.....
- (ज) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के खामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो खामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति।.....

मैं/हम एवंद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शे और प्रतिशूलि जमा आदि हैं, देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक

अवधेय :- (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राविकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर ऑफ एटानी) संलग्न किया जाना चाहिये।
(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम०एम०-१ (क)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)
खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम ५)

स्थान दिनांक को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद.....

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड चप खनिज (परिहार) नियमबली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते हैं। उक्त नियमबली के नियम-६(क) के अधीन देय रु० (लप्या) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं:-

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
2. क्या प्रार्थी कोई नैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है।.....
3. यदि प्रार्थी :-
(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता.....
(ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता.....
(ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अशूषुंजी का प्रतिशत तथा उसे निगमन के स्थान.....
(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी शागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता.....
4. प्रार्थी/प्रार्थियों द्वारा व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बलाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है.....
(ख) पूर्व में रखीकृत नवीनीकरण के बोरे, यदि कोई हों.....
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है.....
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

- (क) क्षेत्रफल जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया.....
 (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये).....
 (ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीनीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से विविहित किया गया हो (संलग्न).....
 (घ) विद्युनान या सूर्जि मलबे के विवरण यदि कोई हो.....
9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के घरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?.....
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।.....
11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :-.....
 (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से ध्यारित करता है.....
 (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या.....
 (ग) साथ-साथ आवेदन कर रहा हो.....
12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्बिलित होंगे :-
 (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत व्यौरा पट्टे की अपेक्षा के लिये अनन्तिम खनन योजना.....
 (ख) क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं अश्व-विज्ञान (Lithology) का व्यौरा, शारीरिक श्रम और गशीन द्वारा खनन का विस्तार.....
 (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना.....
 (घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें ग्राम्यता जल स्त्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य बनों की सीमा और दृढ़ों की संधनता, खनन क्रिया-कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्बिलित है, पर प्रभाव का आंकलन और दन रोपण भूमि-पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ओर दर्शाये गये हों।.....
13. साथन, जिससे खनिज निकाला जाना है अर्थात् शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या पिछुत युक्त द्वारा.....
14. ऐति जिसके अनुसार संश्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा—
 (क) भारत के विनियोग के लिये.....
 (ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये.....
 (ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उदयोगों को, जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चात्वार्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में.....

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।.....

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हों।.....

17. कोई अन्य विवरण जो ग्राही देना चाहते हों।.....

मैं/हम एहतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण ताही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य व्यौरा, जिसमें नवशे भी है, देने का तत्पर हूँ/है।

मवदीय

ग्राही का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान

दिनांक.....

अवधेय :- यदि ग्राहीना पत्र पर ग्राही द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

પ્રપત્ર એમ૦એમ૦-૨

ખનન પટ્ટોં કે લિયે પ્રાર્થના પત્ર કા રજિસ્ટર દેખે નિયમ 05(4) એવં નિયમ-17

1. ક્રમ સંખ્યા.....
2. ખનન પટ્ટે કે લિયે પ્રાર્થના પત્ર કા દિનાંક.....
3. દિનાંક જब પાને વાલે આધિકારી કો પ્રાર્થના પત્ર પ્રાપ્ત હુએ.....
4. યदિ પ્રાર્થના પત્ર પહલે બાર પ્રાપ્ત હોને પર સમી પ્રકાર સે પૂર્ણ ન રહા તો વહ દિનાંક જબ વહ પૂરા કિયા ગયા.....
5. પ્રાર્થી કા નામ ઔર પૂરા પતા.....
6. ઉક્ત વ્યક્તિ કા બૌધ્ય જિસકે લિયે પ્રાર્થના પત્ર દિયા ગયા હો :-
 (ક) તહસીલ.....
 (ખ) પરગાના.....
 (ગ) ગ્રામ.....
 (ઘ) પ્લાટ નં.....
 (ડ) ક્ષેત્રફળ.....
7. ભૂમિ કા કુલ ક્ષેત્રફળ.....
8. ઉન ખનિઓ કા વિવરણ જિન્હેં પ્રાર્થી ખનન કરને છા ઇચ્છુક હૈ.....
9. ઘાલાન સંખ્યા ઔર દિનાંક સહિત મુગતાન કિયા પ્રાર્થના પત્ર શુલ્ક ઔર જમા કિયા ગયા પ્રારમ્ભિક વય.....
10. ઉસ અન્તિમ આજા કી સંખ્યા ઔર દિનાંક જબ પ્રાર્થના પત્ર નિસ્તારિત કિયા ગયા.....
11. દી ગઈ આજા કા સંદર્ભિત વિવરણ.....
12. અભ્યુક્તિયા :.....
13. જિલા ખાન આધિકારી/પ્રતિનિધિ કે હરતાદર.....

प्रपत्र एम०एम०-३

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम-13)

यह अनुबन्ध आज दिनांक को
 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अधिस्थानिकी भी समिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी समिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक यदित हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी समिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम) आत्मज
 निवासी जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एषट संख्या 09) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नगर में
 फर है। (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी समिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
 में है (परा) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी समिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड चपखनिज (परिषार) नियमावली 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि
 एकड़ के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास
 रूपये की घनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा रु. 00 की घनराशि खनन पट्टे हेतु आरम्भिक व्यवों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रद्दित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किसाँ तथा स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एवं द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है (यहां खनिज या खनिजों का

उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानों, तत्प (Beds) संदर्भीम्ब (Viens) जो अनुसूची के भाग-१ में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सामन्थ में, उन निवन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो सिवाय इसके और इसमें से आवश्यक उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक
..... से वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतदद्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू-गृहादि घारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-२ में उल्लिखित कई किसायों और स्वाभित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट मिन-मिन समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबचों के अधीन हो और पट्टेदार एतदद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतदद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतदद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-३ में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-१

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू-खण्ड, जो जिला की तहसील
..... ग्राम के अन्तर्गत खसरा तांच्या कुल क्षेत्रफल है० है, जो कि नदीतल/नदीतल से मिन्न स्थानों में स्थित है, जिसका धित्रण इसमें संलग्न नदियों में किया गया और उसे रंगित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं:-

उत्तर में -

दक्षिण में -

पूर्व में -

तथा

पश्चिम में -

और जिसे एतदद्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी०पी०एस०/डी०जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स निम्नवत हैं:-

1-

2-

3-

4-

भाग-2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना— (1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खंड (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों (*In-Situ*) घटान किस के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनों का नहीं, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वस्थाने घटानों से निन खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०थी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त वाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर रायली की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इनकार करता है तो पट्टाधारक वाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा पिलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगण सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वस्थाने घटान किस के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निनालिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे—

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०थी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगणित पट्टा घनशाशि को निम्नानुसार चंसूचित किया जायेगा:-

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/सायत्ती की दर (रु० प्रति टन)	अन्य देयकों की घनशाशि (रु० प्रति टन)	पट्टाघनशाशि (रु० में)
1	2	3	4	5 (2 x (3 + 4))
1				
2				
3				

- पट्टाघनशाशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान ०३ मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से विभागीय आनलाईन पोर्ट-गेटवे या राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।
- (3) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटीती आदि मुक्त होंगे :— इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान विना किसी कटीती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।
- (4) स्वामित्व के संगणन की रीति :— उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही-सही लेखा रखेगा, जिसमें वह/दे परिवहन की प्रणाली, याहन की निवेदन संख्या, याहन के प्रभारी व्यक्ति, याहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई-रवना प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश हासा विनिर्दिष्ट करे। नियम ६८ के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय-समय पर प्राविकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्धारित किये जाने वाले या ई-रवना प्रपत्र एम.एम. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय के मासिक रूप से प्रत्येक नाह की 10 गारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरनी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं छोड़ जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रुपये ५०००.०० (रु० पाँच हजार मात्र) की घनशाशि का भुगतान करेगा।
- (5) ई-रवना प्रपत्र एम.एम. 11 निर्धारित किया जाना :— पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत पट्टे रेतु पंजीकरण कराकर ई-रवना प्रपत्र एम.एम. 11, जैसा नियमावली छोड़ नियम ७०(1) में अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।
- (6) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :— यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्वचनों और शर्तों के अधीन विनी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य घनशाशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियम-५४ के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग-३

सामान्य उपबन्ध

- (1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिवार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिबन्धित जग्मा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युवित्रयुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार याचारिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।
- (2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :- पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के बाहर पर देख किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास ले भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न छर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी जाही या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास-स्थानों को उखाड़ उकता है/उकते हैं और हटा उकता है/उकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाय नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।
- (3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :- यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात्, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास-स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास ले भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायें, वह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर या नुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी विक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उद्धित समझे।
- (4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन-पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा घनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।
- (5) नोटिसें :- इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को एकस्त्रीकृत ढाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अनिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार जम्य-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तारीख पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तारीख समझी जाएगी और उसके समन्वय में उसके/उनके हासा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे छुनौती दी जाएगी।

(6) शर्तें—

- 1— पट्टेदार मा० उच्चतम न्यायालय/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा० उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार हासा समय—समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरण अनुपालन सुनिश्चित करेंगा।
- 2— अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे उल्लिखित की जायेगी।

(7) स्टाम्प शुल्क :— स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुभानित स्वाभित्व प्रतिवर्ष रुपये हैं। इसके साझ्य के रूप में उपस्थापन—पत्र एतदधीन खायी हुई रीति के ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए ओर उनकी ओर से—

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1—

2—

पट्टेदार/पहाड़ारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1—

2—

प्रपत्र एम. एन. 4

खनन पट्टों का संग्रहीत—(वैचों नियम 17)

- 1— क्रम संख्या
- 2— पट्टेदार का नाम
- 3— पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता
- 4— प्रार्थना—पत्र का दिनांक
- 5—
 - (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक
 - (ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक
- 6— भूमि का व्यौरा
 - (क) तहसील
 - (ख) परगना
 - (ग) ग्राम
 - (घ) लाट नं.
 - (ङ) क्षेत्रफल
- 7— कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो
- 8— खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो
- 9— निश्चित अपरिहार्य भाटक
 - (क) खनिज
 - (ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक
 - (ग) कुल अपरिहार्य भाटक
 - (घ) वार्षिक पट्टाधनराशि
- 10— पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक
- 11— अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो
- 12— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
- 13— ऐसे परिवर्तन के ब्यौरो के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकरण या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो
- 14— पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक
- 15— अमुक्तियाँ
- 16— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रफ़त्र एम. एग. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर-(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर

- 1— क्रम संख्या
- 2— क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या
- 3— घोषणा का दिनांक
-
- 4— तहसील
- 5— परगना (प्लांट) संख्या
- 6— ग्राम
- 7— गाटा (प्लांट) संख्या
-
- 8— क्षेत्रफल
-
- 9— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
- 10— नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना
- (क) आदेश संख्या
- (ख) आदेश का दिनांक
- (ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र एमएम. 06

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज दिनांक को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताकिती भी समझें जायेंगे), एक पक्ष और

यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :— (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा

(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आलमज निवासी आलमज निवासी जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय नगर में पर है, (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझें जायेंगे)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :

(कम्पनी का नाम) जो (एक्ट, जिसके अधीन निर्गमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझें जायेंगे) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का रु0 (उच्चतम बोली की घनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए वर्ष/वर्षों को निर्गमित एतदधीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में हैक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्थीकार कर लिया गया है और उसने/चन्होंने प्रतिभूति स्वरूप रुपये (उच्चतम बोली का पव्वीय प्रतिशत घनराशि) की घनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर दी है।

यह इसका साइर है कि इस उपस्थापन-पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रखित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से नुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधनराशि/स्वामित्वों प्रसांपिदार्थों तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है—

(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदृष्ट अनुसूची में “उक्त” “खनिज” कहा गया है, की समस्त खनन तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उव्वत् अनुसूची के भाग—१ में अभिदृष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हैं सिवाय इसके और इसमें से आशित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक 20..... से वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू—गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग—२ में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट मिन्न—शिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसांपिदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसांपिदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग—३ में अधिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदृष्ट अनुसूची)

भाग—१

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू—खण्ड, जो जिला की ताहसील शाम के अन्तर्गत खसरा संख्या कूल क्षेत्रफल है० है, जो कि नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं—

चत्तर में—

दक्षिण में—

पूर्व में—

तथा

पश्चिम में—

और जिसे एतद्वारा “चक्त भू—खण्ड” कहा गया है तथा जिसके जी०पी०एस०/ठी०जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स निम्नवत हैं—

१—

२—

३—

४—

भाग—2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये शेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्राटन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेगें

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक — जब किस दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अग्रिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार कोकिश्तों में विभागीय पै—मैट गेटवे/कोषगार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन— पत्र (presents) की शतों और प्रतिवन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा मालगुजारी का बकाया।

ભાગ-૩

સાગાન્ય ઉપવન્ધ

નિવમોં પ્રસંગિદાઓં ઔર શર્તોં કો ભંગ કરને પર પટ્ટા સમાપ્ત કિયા જા સકતા હૈ : (૧) યदિ પટ્ટેદાર ઉત્તરાખણ ઉપવન્ધ (પરિહાર) નિયમાવલી, 2023 કે કિસી નિયમ યા ઇસ પટ્ટે કી કિસી પ્રસંગિદા તથા કિસી શર્ત કો ભંગ કરેં તો રાજ્ય સરકાર પટ્ટા સમાપ્ત કર સકતી હૈ ઔર પ્રતિભૂતિ જગ્યા કી પૂર્ણતઃ યા અંશતઃ જવા કર સકતી હૈ કિન્તુ પ્રતિવન્ધ યા હૈ કે પટ્ટા સમાપ્ત કિયે જાને કે ઘર્યું પટ્ટેદાર/પટ્ટેદારોં કો ઉન્હેં ભંગ કરને કા સ્પષ્ટીકરણ દેને કે લિએ યથોચિત અવસર દિયા જાયેગા।

પટ્ટેદાર પટ્ટે કી સમાપ્તિ પર અપની સમાપ્તિયોં કો હટાયેગા/હટાવેંગે : (૨) પટ્ટેદાર ઇસ ઉપસ્થાપન પત્ર કે આધાર પર વેચ પટ્ટાધનરાશિ કા પહેલે મુગતાન ઔર ઉન્નોચન કર ચુકને પર ઉક્ત અવધિ કી સમાપ્તિ પર ઉસકી શીઘ્રતર સમાપ્તિ પર યા તત્પ્રશ્વાત તીન કલેણ્ડર માસ કે ભીતર (જીવ તક કે પટ્ટા ઇસ ભાગ કે ખણ્ણ-૧ કે અધીન સમાપ્ત ન કર દિયા જાએ ઔર ઉસ દશા મેં કિસી સમય ઐસી સમાપ્તિ કે પશ્વાત કગ સે કગ એક કલેણ્ડર માસ મે) ઔર અધિક સે અધિક તીન કલેણ્ડર માસ મેં અપને લામ કે લિએ ઐસી સમી યા કિસી મશીન, સંયંત્ર, ભવન, તંરબનાયે ઔર અન્ય નિર્માણ કાર્ય ઔર અરથાઈ આવાસ રથાનોં (conveniences) કો ઉખાડ સકતા હૈ/સકતે હું ઔર હટા સકતા હૈ/સકતે હું, જો ઉક્ત ભૂમિ મેં યા ઉસ પર પટ્ટેદાર/પટ્ટેદારોં દ્વારા રખે ગયે હોં।

પટ્ટે કી સમાપ્તિ કે પશ્વાત એક માસ સે અધિક સમય સે છોડી ગયી સમાપ્તિ કી જાણી :- (૩) યદિ ઉક્ત અવધિ કી સમાપ્તિ યા ઉસકે શીઘ્રતર સમાપ્તિ કે પ્રમાણી હોને કે પશ્વાત એક કલેણ્ડર માસ કે જન્તા મૂળી મેં યા ઉસ પર કોઈ ઇંજન, મશીન, સંયંત્ર, ભવન, સરચનાયે તથા અન્ય નિર્માણ કાર્ય ઔર અરથાઈ આવાસ સ્થાન યા અન્ય સમાપ્તિ રહે તો ઉનકે સામ્બન્ધ મેં, યદિ વે ઐસે લિખિત નોટિસ દેને કે પશ્વાત જિસમે જિલા ખાન અધિકારી દ્વારા પટ્ટેદાર/પટ્ટેદારોં સે ઉન્હેં હટાને કી જપેશા કી ગઈ હો એક કલેણ્ડર માસ કે ભીતર પટ્ટેદાર/પટ્ટેદારોં દ્વારા ન ઉત્તાયે જાયેં, તો યહ સમજા જાયેગા કે વહ/વે રાજ્ય સરકાર કી સમાપ્તિ હો ગઈ હૈ ઔર કિસી પ્રતિકર કા મુગતાન કિએ બિના યા ઉસકે સમદન્ય મેં પટ્ટેદાર/પટ્ટેદારોં કો કોઈ હિતાબ દિએ બિના ઉસકી બિન્દી યા નિસ્તારણ ઐસી સ્થિતિ સે કિયા જા સકતા હૈ, જો રાજ્ય સરકાર ઉચિત ચાગ્યોં।

શર્તો—

- ૧— પટ્ટેદાર ગા૦ ચચ્ચતમ ન્યાયાલય/ગા૦ ચચ્ચીય હરિત પ્રાધિકરણ/મા૦ ઉચ્ચ ન્યાયાલય એવં કેન્દ્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા સામય-સામય પર પારિત આદેશોં/નિર્દેશોં કા અક્ષરતા: અનુપાલન સુનિર્ણિત કરેગા।
- ૨— અન્ય ઐસી શર્તો, જો જિલા ખાન અધિકારી આવશ્યક સમજો, ઉલ્લિખિત કી જાયેગી।

સ્ટાન્ડ શુલ્ક : (૬) સ્ટાન્ડ શુલ્ક કે પ્રયોજન કે લિએ પટ્ટાન્તરિત ભૂમિ સે પ્રત્યાશિત સ્વામિત્વ પ્રતિવર્ષ રૂ૦
..... હૈ।

ઇસકો સાઝ્ય કે રૂપ મેં યા ઉપસ્થાપન પત્ર એતદ્યીન આઈ હુઈ રીતિ સે ઊપર ઉલ્લિખિત દિનાંક ઔર વર્ષ કો નિષ્પાદિત કિયા ગયા હૈ।

चत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1-

2-

पटेदार/पहुँचारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1-

2-

प्रपत्र—एम. एम. 7

नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर—(देखें नियम-27)

- 1— क्रम संख्या
- 2— भूमि का विवरण
- (क) चहसील
- (ख) परगना
- (ग) ग्राम
- (घ) गाटा (प्लांट) संख्या
-
- (ङ) क्षेत्रफल
- 3— भूमि का कुल क्षेत्रफल
- 4— खनिज या खनिजों का नाम
- 5— पट्टेदार का नाम
-
- 6— पट्टेदार का पूरा पता
- 7— पट्टा प्राप्त होने का दिनांक
- 8— पट्टा अवसान होने का दिनांक
- 9— पट्टाधनराशि
- 10— अन्युक्ति
- 11— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र—एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा—पत्र के लिए प्रार्थना—पत्र (देखें नियम—52)

(लीन प्रतियों में देना है)

स्थान दिनांक 20.....
 समय बजे
 दिनांक को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा गे,
 जिला खान अधिकारी,
 भूत्त्व एवं खनिकर्म विभाग,
 जनपद.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय—८ के अंतीम खनन अनुज्ञा—पत्र दिया जाये।

- (2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क रु. जगा कर दिया गया है।
- (3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :—
 - (1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता
 - (2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.....
 - (3) यदि प्रार्थी—
 - (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रीयता
 - (ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निवासन का स्थान
 - (ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रियों द्वारा धृत अंश पूँजी का का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान
 - (घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता.....
 - (4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार
 - (5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :
 - (क) खनिज का नाम
 - (ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा
 - (ग) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा—पत्र अपेक्षित है.....
 - (घ) उस द्वेष का बौद्धि, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा—पत्र अपेक्षित है

જિલ્લા	તાહસીલ	ગ્રામ	ખરારા સંખ્યા	કોન્ફ્રલ	બધા રીતું હૈ યા કિસી દ્વારા ઘૃત હૈ ઔર યદિ ઘૃત હૈ તો ઉસને બૈંદે
					ઘ્રાણ : કોન્ફ્રલ કી દ્વારા મેં ગ્રામ કા નામ ઔર યદિ શામ કે કેવળ એક ભાગ કે લિયે પ્રાર્થના-પત્ર દિયા ગયા હો, તો ખરારા (ગ્રામ) સંખ્યા, પ્રલ્યેક ઐસે ખેત યા ઉસને ભાગ કા, જિસકે લિયે પ્રાર્થના-પત્ર દિયા ગયા હો, ડેવટર મેં કોન્ફ્રલ
(૮)	બન કોન્ફ્રલ કી દ્વારા, મેં કાર્યવૃત્તિ (વોર્કિંગ સર્કિલ) કા નામ, બનરાજિ (range) ઔર પાતન થેનિયા (felling serise) યદિ કોઈ હો, બન મેં ઝાત ઔર સીમાનિત કોન્ફ્રલ કે સમબ્યા મેં થેત્ર કા વિવરણ તથા એકલો મેં વિરતાર (લાગમાણ)।				
(૯)	મૂ-કર સર્વેક્ષણ કે અન્તર્ગત આને વાલે કોન્ફ્રલ કી દ્વારા મેં, ઘરાતલ માનવિત્ર મેં નિશ્ચિત સ્થાનોને કે હવાલે સે કોન્ફ્રલ કે પ્રારમ્ભિક સ્થળ કા વિવરણ ઔર સીમા-રેખા કી રેખીય દૂરિયાં ઔર ઉસને ઘરાતલ માનવિત્ર મેં દિએ ગયે કોન્ફ્રલ કે તદ્દનુંકુપ યથાસમ્બન્ધ ઠીક-ઠીક દિક્રિસ્થિત (4" = 1 મીલ પૈમાના)।				
(૧૦)	રીતિ જિસને અનુસાર રંગ્રહ કિય ગએ ખનિજ વાં ઉપયોગ કિયા જાએના।				
(૧૧)	પ્રાર્થી કે વિલીય સંસાધન।				
(૧૨)	વાંછિત અભિલેખ જો આવેદન પત્ર કે સાથ સંલગ્ન કર પ્રસ્તુત કિયે જાયેને:-				
(એ)	(એ) ઊપર ૨ પર ઉત્તિલાયિત ઘનરાશિ કે લિએ સંલગ્ન રસીદ વાલે ઑનલાઇન પેમેન્ટ ગેટ-વે રસીદ/કોષગાર ચાલાન આદિ કે વિવરણ।				
(એ)	(એ) મૂ-કર સર્વેક્ષણ માનવિત્ર કી ચાર સત્ત્વાપિત પ્રતિયાં।				
(એ)	(એ) ખરારા ખતીની કી સત્ત્વાપિત પ્રતિયાં।				
(એ)	(એ) અદ્યતાન ખગન આદેયતા પ્રમાણ પત્ર જો સમીક્ષિત જિલ્લા ખાન અધિકારી કે દ્વારા નિર્ણય કિયા ગયા હો કી પ્રતિ।				
(એ)	(એ) આયકર બકાયા ન હોને સમ્વન્ધી પ્રમાણ પત્ર/શાખ પત્ર કી પ્રતિ।				
(એ)	(એ) અદ્યતાન ચરિત્ર પ્રમાણ પત્ર કી પ્રતિ।				
(એ)	(એ) મૂલ નિવાસ/સ્થાયી નિવાસ પ્રમાણ કી છાયાપત્ર।				
(એ)	(એ) જીઓસ્સ૦ટી૦ પ્રમાણ પત્ર કી પ્રતિ।				
(એ)	(એ) હૈરિયત પ્રમાણ પત્ર કી પ્રતિ।				
	મૈ/હન એરાદ્વારા ઘોષગા કરતા હું/કરતો હું કી ઊપર દિએ ગયે વિવરણ ઠીક હૈ ઔર મૈ/હન કોઈ અન્ય બૈંદે દેને કો તૈયાર હું/હું, જો આપકે દ્વારા અપેક્ષિત હૈ।				
	સ્થાન				
	દિનાંક				

મવદીય,
પ્રાર્થી કે હસ્તાક્ષર

અવધેય :- યદિ પ્રાર્થના-પત્ર પર પ્રાર્થી કે પ્રાધિકૃત અભિકર્તા દ્વારા હસ્તાક્ષર કિએ જાયે તો અભિકર્ણ પત્ર (power of Attorney) ચંલાન કિયા જાના ચાહિયે।

प्रपत्र—एम.एम. ७

खनन अनुज्ञा—पत्रों के लिए प्रार्थना—पत्र का रजिस्टर—(देखें नियम—५८)

- (१) क्रम संख्या
- (२) खनन अनुज्ञा—पत्र के लिए प्रार्थना—पत्र का दिनांक
- (३) खनिज का नाम
- (४) जिस देश के लिए प्रार्थना—पत्र दिया गया हो:
- (क) तहसील
- (ख) परगना
- (ग) ग्राम
- (घ) प्लाट संख्या
- (ङ) क्षेत्रफल
- (५) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
- (६) अनुज्ञा—पत्र न देने या देने की आशा का दिनांक
और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
- (७) यदि अनुज्ञा—पत्र दिया जाये तो उसके बौरे :
- (क) दिया गया कुल क्षेत्र :
- (ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :
- (ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो
- (घ) कुल स्वामित्व की धनराशि
- (ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक
- (च) अनुज्ञा—पत्र जारी करने का दिनांक
- (छ) अनुज्ञा—पत्र की समाप्ति का दिनांक
- (ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र — एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (विख्यें नियम 55)

श्री/सर्वश्री को चत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम में (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है और ज्ञा. (रूपया) रूपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा रूपये प्रतिटन/घन मी० की दर से त्वामित्र का भी रूपया अग्रिम मुन्त्रान कर दिया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से टन/घन मी० खनिज को, आज से मास अर्थात् दिनांक से दिनांक की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के बारे

ठहरील	परगना	ग्राम	गाँठा (लाट) संख्या	एकड़ में सेन्ट्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

- (1) अनुज्ञा-पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की वातिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निरिचत करेगा।
- (2) अनुज्ञा-पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सङ्कट, सार्वजनिक भार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।
- (3) अनुज्ञा-पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी ने ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

**Geology & Mining Department
Uttarakhand**



Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name:

Form MM-11 No.

Lease Address:

Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST.....
9. Payable SGST.....
10. Payable Royalty
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand



Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:

Form MM-11 No.

Lease Address:

Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST.....
10. Payble Royalty
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

प्रपत्र- एम.एम. 12
मासिक विवरणी
(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतल्ल पर्व खनिकर्म चिनाग,
जनपद.....

माह/वर्ष की विवरणी :-

- (1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते
- (2) पट्टे का विवरण खनिज का नाम
- (3) पट्टे की अवधि द्वैत्रफल एकड़ में, ग्राम तहसील
- (4) जिला
- (5) नियोजित श्रमिकों की संख्या कुशल अकुशल

गाह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5
.....

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9
.....

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उत्तेज किया जाना चाहिये और कार्य-प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अधिकार्ता
दिनांक के हस्ताक्षर और गोहर
प्रतिलिपि—

- (1) गहानिदेशक/निदेशक, भूतल्ल पर्व खनिकर्म निदेशालय, उत्ताराखण्ड, नोएलपानी, देहरादून।
- (2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

પ્રપત્ર-એમ્યુએમ૦ 13

અપીલ યા પુનરીક્ષણ કે લિએ પ્રાર્થના-પત્ર
કા આર્દ્રા પ્રપત્ર (નિયમ 77, 78 બીર 79)

સેવા મં.

મહોદ્ય,

- (1) આવેદન કરને વાળે વ્યક્તિ/વ્યક્તિ વિશેષ/ફર્મ યા કમ્પની યા સંસ્થા કા નામ,પતા.....
- (2) વ્યક્તિ/વ્યક્તિ વિશેષ/ફર્મ યા કમ્પની યા સંસ્થા કા વ્યવસાય.....
- (3) અધિકારી કે આદેશ કી સંખ્યા ઔર દિનાંક, જિસકે દિલ્હી અપીલ/પુનરીક્ષણ દાયર કિયા, જાએ, (પ્રતિલિપિ સંલગ્ન કી જાય)
- (4) ખનિજ/ખનિજોની કા નામ, જિસકે/જિનકે લિએ અપીલ/પુનરીક્ષણ દાયર કિયા જાએ.....
- (5) ક્ષેત્ર કા વિવરણ જિસકે લિએ અપીલ/પુનરીક્ષણ આવેદન પત્ર દાયર કિયા જા રહા હૈ:-

જિલ્લા	તાહીસીલ	ગ્રામ	ખસરા સંખ્યા	દાવાકૃત ક્ષેત્ર કા ક્ષેત્રફલ
1	2	3	4	5

(ક્ષેત્ર/ક્ષેત્રોની કા માનવિત્ર સંલગ્ન કિયા જાએના)

- (6) ક્યા ઉત્તરાખંડ ચપ ખનિજ (પરિહાર) નિયમાવલી, 2023 કે નિયમ-79 મેં નિદિત્ત રીતિ કે અનુસાર રૂપયે કા પ્રાર્થના પત્ર શુલ્ક જમા કિયા ગયા હૈ?
- (7) ક્યા અધિકારી દ્વારા દિયે ગए આદેશ કો સંસ્થિત કિયા જાને કે દિનાંક કે 60 દિન યા 90 દિન કે ભીતર પ્રાર્થના પત્ર દિયા ગયા હૈ।
- (8) પક્ષ/પક્ષકારોની જો બનાયે ગયે હોને, યદિ કોઈ હો, કા/કે નામ ઔર પૂરા પતા.....
- (9) યાધિકા કી પ્રતિયોંની સંખ્યા, જો સંલગ્ન કી ગયી હોને (પ્રત્યેક બનાયે ગયે પક્ષકારોની કે લિએ અતિરિક્ત સંખ્યા મેં પ્રતિયોંની સંલગ્ન કિયા જાના ચાહિયે) :-
- (10) અપીલ/પુનરીક્ષણ કે આધાર :-
 - (ક) સંક્ષિપ્ત તથ્ય
 - (ખ) આધાર
 - (ગ) પ્રાર્થના
- (11) યદિ અપીલ/પુનરીક્ષણ કા પ્રાર્થના પત્ર અમિકરણ પત્ર ધારક (The holder of power of Attorney) દ્વારા દિયા ગયા હૈ તો અમિકરણ પત્ર સંલગ્ન કિયા જાએના।.....

સ્થાન
દિનાંક

ભવદીય
પ્રાર્થી કે હસ્તાક્ષર

યદિ કોઈ પક્ષકાર નહીં બનાયા ગયા હૈ, તો પ્રાર્થના પત્ર તીન પ્રતિયોં મેં દિયા જાએના।
યદિ ઇનંથે અતિરિક્ત કોઈ હો, તો બનાયે ગયે પ્રત્યેક પક્ષકાર કે લિએ એક અતિરિક્ત પ્રતિ સંલગ્ન કી જાએની।

આજા રો,

ડૉઝ પંકજ કુમાર પાણ્ડેય,
સચિવ।